इण्डेक्स मेडीकल कालेज, अस्पताल एवं रिचर्स केंद्र

विरूद्ध

म0प्र0 राज्य व अन्य (2021)1 एस.सी.आर. 647

(माननीय एल नागेश्वर राव एवं माननीय इंद्रा बनर्जी न्यायाधीशगण )

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः

म0प्र. चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 नियम 12(8)(क)-परामर्श के अंतिम दौर में प्रवेश के लिए आवंटन (मॉप अप राउंड) नियम 12(8)(क) का प्रावधान है कि ऐसी रिक्त सीटे जो माप अप राउंड में उम्मीदवारों के प्रवेश न लेने के कारण या स्वीकृति पश्चात त्याग पत्र प्रस्तुत करने के कारण उत्पन्न होती है, उन्हें महाविधालय स्तरीय परामर्श में शामिल नहीं किया जाएगा।

संवैधानिक वैधता-नियम 12(8)(क) प्रविष्टी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश योग्यता के अनुसार सख्ती से किया जाऐ, क्योंकि सरकार ने यह देखा कि कम मेधावी उम्मीदवारों को बेहतर विषय/कॉलेज मिल रहे थे। नियम 12(8)(बी) के अनुसार ऐसे छात्र जो मॉप अप राउंड से सीट आवंटन के पश्चात कॉलेज में प्रवेश नहीं लेते है, वे स्वतः अगले दौर के परामर्श से अयोग्य घोषित हो जाएगें। उन्हें किसी अन्य मेडीकल/डेंटल कॉलेज में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। सरकार द्वारा प्रबंधन को ऐसी रिक्त सीटे, जो छात्रों द्वारा प्रवेश न लिए जाने के कारण उत्पन्न हुई है, को भरने से रोकने के लिए गए कदम अत्यधिक एवं अनुचित प्रतिबंध है। छात्रों को प्रवेश दिए जाने का अधिकार प्रबंधन के व्यवसाय के अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) द्वारा प्रदत्त किया गया है, को पराजित करता है। शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त सीटे होने से प्रबंधन को न सिर्फ भारी वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि यह आम जनता के लिए हानिकारक होकर राष्ट्रीय संसाधनों का अपशिष्ट भी है। ऐसी सीटे जो रिक्त रही है, का वर्गीकरण तर्क संगत विभेदक पर आधारित हो सकता है, किंतु इसका नियम 12(8)(क) के उद्देश्य से कोई युक्तियुक्त संबंध नहीं है। समानता के मापदण्ड के आधारों पर ऐसा प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19(1)(जी) का उल्लंघन करते हुए अयुक्तियुक्त है।

आदेश

याचिका स्वीकृत की गई।

01. दोनो पक्षों के तर्क श्रवण किए जाने के उपरांत दिनांक 03.02.2021 को निम्नानुसार

आदेश पारित किया गया थाः-

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। यह घोषित किया जाता है कि म0प्र0 चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 का नियम 12(8)(क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

म0प्र0 राज्य को यह निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष 2020-2021 की महाविधालय स्तरीय काउंसलिंग में मॉप अप राउंड के माध्यम से एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की सभी 7 रिक्त सीटे भरे जाने की प्रक्रिया शुरू करे।

02. आदेश दिनांक 03.02.2021 के आधार निम्नलिखित है।

03. अपीलकर्ता-निजी मेडीकल कॉलेज द्वारा म0प्र0 उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इंदौर में (म0प्र0 चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम ), 2018 के नियम 12(8)(क) की संवैधानिम वैधता को चुनौती दी गई है।

04. म0प्र0 निजी व्यवसायिक (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ) अधिनियम, 2007, (जिसे ऐतदपश्चात अधिनियम से संबोधित किया जाएगा ) को प्रकाशित कर निजी, सहायता प्राप्त न करने वाले व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को नियंत्रित करना, फीस का निर्धारण एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग को सीटो में आरक्षण दिए जाने संबंधी प्रावधान प्रदान किए गए है। अधिनियम के तीसरे अध्याय में ऐसे संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित प्रवेश एवं फीस निर्धारण कमेटी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंधन, देख रेख एवं प्रवेश लेने वाले छात्रों से ली जाने वाली फीस नियत की जाएगी।

नियम 10 के अनुसार प्रथम दौर की काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्रों को आवंटित की गई सीटो में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियम 11 में दिव्तीय दौर की काउंसलिंग में भाग लिए जाने पर प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गई है एवं अंतिम दौर (मॉप अप राउंड) के संबंध में नियम 12 में प्रक्रिया दी गई है। अंतिम दौर की काउंसलिंग के खत्म होने पर प्रवेश की प्रक्रिया नियम 13 से शासित होती है। नियमों में किए गए संशोधन दिनांक 19.06.2019 को सूचित किए गए थे वे सुसंगत संशोधन जो इस अपील की विषय वस्तु है निम्नानुसार हैः-

12(8)(क) ऐसी रिक्त सीटे जो मॉप अप राउंड में उम्मीदवारों के प्रवेश न लेने के कारण या उनके स्वीकृत होने के पश्चात त्यागपत्र प्रस्तुत करने के कारण उत्पन्न होती है, ऐसे छात्रों को महाविधालय स्तरीय काउंसलिंग जो कि मॉप राउंड के बाद संचालित होता है, में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

05. इण्डेक्स मेडीकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च केंद्र एवं आरूषि महंत व अन्य के द्वारा उक्त नियम 12(8)(क) के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19(1)(जी) का उल्लंघन किए जाने के संबंध में प्रस्तुत रिट याचिका म0प्र0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर की डिवीजन बैंच के द्वारा दिनांक 15.12.2020 को पारित निर्णय के माध्यम से खारिज कर

दी गई। इण्डेक्स मेडीकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च केंद्र द्वारा यह अपील एस.एल.पी.(सी) 179/21 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, जिसमें उक्त निर्णय दिनांक 15.12.2020 को चुनौती दी गई है। पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडीकल साइंस एवं रिसर्च केंद्र द्वारा भी उक्त नियम की वैधता को चुनौती देते हुए रिट प्रस्तुत की गई है थी, जो म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कर्ता को इस स्वतंत्रता के साथ निराकृत की गई कि वह डायरेक्टरेट ऑफ मेडीकल एजुकेशन के समक्ष उनके शिकायतों के निवारण हेतु उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। पीपुल्स कॉलेज द्वारा भी एक अपील में दिनांक 13.01.2021 के आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त सभी अपीलों में उत्पन्न होने वाले बिंदु नियम 12(8)(क) की वैधता से संबंधित है, इसलिए उन्हें साथ में सुना जा रहा है।

06. श्री नीरज किशन कॉल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सिद्धार्थ आर गुप्ता एवं श्री अमलपुष्प श्रोत्री, अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त एडव्होकेट जनरल व उनके सहयोगी रिस्पोंडेंट के अधिवक्ता श्री सनी चैधरी को सुना गया। अपीलांट द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किए गए है कि नियम 12(8)(क) उनके व्यवसायिक के अधिकार, जो उन्हें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(जी) प्रदान करता है, का अपमान है। मेडीकल संस्थानो को ऐसी रिक्त सीटे जो विधार्थियों द्वारा मॉप अप राउंड में प्रवेश न लिए जाने अथवा वे सीटे जो छात्रों द्वारा उनके प्रवेश के उपरांत त्याग पत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न होती है, को भरे जाने से प्रतिबंधित किया जाना एक अयुक्तियुक्त प्रतिबंध है। अपीलांट द्वारा यह भी दावा किया गया कि उनके द्वारा ऐसे छात्र जो समान काउंसलिंग समूह का भाग होते है, को प्रवेश हेतु आवंटन दिया जाता है। दो दौर की काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीटो को भरने के लिए मॉप अप राउंड होता है और वे सीटे जो मॉप अप राउंड में भी रिक्त रहती है वे महाविधालय स्तरीय काउंसलिंग में भरी जाती है, जैसा कि रूल 13 में दिया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नियम 12(8)(क) का मुख्य उद्देश्य यह बताया गया है कि प्रवेश प्रक्रिया में होने वाले जोड-तोड एवं कम मेधावी छात्रों को बेहतर संस्थानों में प्रवेश दिए जाने से रोकना है, किंतु इस संबंध में प्रयोग में लाए गए उपायों का उक्त उद्देश्य से कोई सीधा संबंध नहीं है। अपीलांट का यह भी तर्क है कि नियम 12(8)(क) के कारण सीटो के रिक्त रहने से न सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पडता है, बल्कि यह राष्ट्र के संसाधनों की भी हानि है।

07. दूसरी ओर म0प्र0 राज्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का बचाव करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किए गए है कि मॉप अप राउंड के पश्चात छात्रों द्वारा प्रवेश न लिए जाने अथवा उनके द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत किए जाने की दशा में रिक्त सीटो पर कम मेधावी छात्रों को बेहतर संस्थानों में प्रवेश मिल रहा था, जिसके कारण नियम 12(8)(क) में संशोधन करना आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक था जिससे की ऐसे छात्रों को रोका जा सके, जो कम मेधावी छात्रों के साथ मिलीभगत कर सीट रोक रहे थे। चूकि मेडीकल संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने पर आधारित है, तब नियम

12(8)(क) का उद्देश्य कम मेधावी छात्रो द्वारा उनसे अधिक मेधावी छात्रों का हक छीनने से रोकने का है। राज्य द्वारा म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रं. 8097/2017 में पारित निर्णय का अवलंब लिया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को यह निर्देश दिए गए थे कि प्रवेश प्रकिया के मॉप अप राउंड में महत्वपूर्ण पोस्ट ग्रेजुएट सीटो पर जोड-तोड कर कम मेधावी छात्रों से ऐसी सीटे भरे जाने को रोका जाए। ऐसी 7 सीटो की पहचान की गई जो छात्रों द्वारा मॉप अप राउंड के पश्चात प्रवेश न लिए जाने के कारण रिक्त रही और इसलिए ऐसी सीटो को महाविधालय स्तरीय काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया।

08. म0प्र0 में राज्य से सहायता प्राप्त न करने वाले ऐसे निजी मेडीकल संस्थानों में एक सामान्य काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश हेतु आवंटन किया जाता है, जिसमें काउंसलिंग के दो दौर नियम 10 व 11 के अनुसार संचालित होते है। पहले दौर में प्रवेश हेतु पात्रता प्राप्त छात्रों को उन्नयन (अपग्रेडशन) अथवा दूसरे दौर में ऐसे छात्रों के साथ जिन्हें प्रथम दौर में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ, उनके साथ होने वाली काउंसलिंग में सीट के बदलाव का विकल्प दिया जाता है। जिनके द्वारा नियम 10 के अंतर्गत बेहतर विकल्प को चुना जाता है, उन्हें भी नियम 11 के अंतर्गत होने वाली दूसरे दौर की काउंसलिंग में विचार में लिया जाता है। नियम 11(7) यह प्रावधानित करता है कि दूसरे दौर की काउंसलिंग में दिए गए प्रवेश अंतिम होगे और वे छात्र जिन्हें प्रवेश दिया गया है उन्हें बेहतर विकल्प लेने की सुविधा नहीं होगी। नियम 12(2) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे छात्र जिन्हें पूर्व के दौर के काउंसलिंग में आवंटन आदेश दिए गए है, उन्हें अंतिम दौर (मॉप अप राउंड) के समय विचार में लिए जाने की पात्रता नहीं होगें। अंतिम दौर में प्रवेश की प्रक्रिया नियम 10 के अनुसार होगी, किंतु अंतिम दौर में भाग लेने वाले छात्रों को बेहतर विकल्प चुनने का मौका नहीं मिलेगा। यदि अंतिम दौर की काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात छात्र द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो उसके द्वारा नियम 12(2) के अंतर्गत जमा की गई दो लाख रूपए की राशि स्वतः ही जप्त हो जाएगी।

09. श्री साकेत बंसल द्वारा रिट याचिका क्रं. 8079/2021 के माध्यम से इस आशय की रिट प्रस्तुत की गई कि एक उनसे कम मेधावी छात्र को पोस्ट ग्रेजुएट मेडीकल पाठयक्रम में बेहतर विषय/सीट प्राप्त होने से उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दूसरे दौर की काउंसलिंग में उनकी पसंद का चैथ विषय पोस्ट ग्रेजुएट पाठयक्रम हेतु चुना गया था। निर्धारित नियमों के आलोक में उन्हें मॉप अप राउंड में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली, जबकी मॉप अप राउंड में उनकी पसंद के पहले विषय की सीट एक कम मेधावी छात्र को प्राप्त हुई। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि कुछ छात्रों द्वारा सीटों को जोड-तोड कर रोकने का कार्य किया जाता है और उसके पश्चात ऐसी रोकी गई सीटो पर प्रवेश न लेकर कम मेधावी छात्रों को बेहतर विषय/कॉलेज में पश्चातवर्ती प्रक्रम की काउंसलिंग में प्रवेश लेने का अवसर मिल जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक

24.04.2019 को पारित आदेश में राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की साठ-गांठ एवं मेडीकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु की जाने वाली जोड-तोड को रोकने हेतु असफल रहने के संबंध में वेदना व्यक्त की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा दार-उस-सलाम शैक्षणिक ट्रस्ट व अन्य विरूद्ध मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया व अन्य में जारी निर्देशों का राज्य द्वारा पालन न किए जाने के संबंध में भी चिंता व्यक्त की गई है। राज्य द्वारा किया गया यह कथन भी अभिलेख पर लिया गया है कि ऐसे छात्र जो पहले सीटे रोक लेते है और बाद में प्रवेश नहीं लेते है, उन्हें दांडिक परिणामों को भुगतना होगा और उन्हें उस वर्ष के शैक्षणिक सत्र में किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश लिए जाने से वर्जित कर दिया जाएगा। राज्य द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि मॉप अप राउंड के पश्चात प्रवेश केवल उन्हीं सीटों पर दिया जाता है, जो काउंसलिंग के उपरांत रिक्त रह जाती है, जिनमें वे सीटे शामिल नहीं होती जो छात्रों को आवंटित किए जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रवेश न लिए जाने के कारण रिक्त रह जाती है।

10. नियम 12(8)(क) में यह प्रावधान है कि ऐसी रिक्त सीटे जो मॉप अप राउंड में उम्मीदवारों के प्रवेश न लेने के कारण या स्वीकृति पश्चात त्याग पत्र प्रस्तुत करने के कारण उत्पन्न होती है, उन्हें महाविधालय स्तरीय परामर्श में शामिल नहीं किया जाएगा। नियम 12(8)(बी) ऐसे छात्रों को अयोग्य घोषित करती है जिनके द्वारा मॉप अप राउंड में सीट आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाता है अथवा त्याग पत्र दे दिया जाता है। ऐसे छात्र स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिए जाते है और ऐसे छात्रों की सूची डायरेक्ट्रेट की पोर्टल एवं बेवसाईट पर प्रदर्शित की जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसी सूची अन्य राज्यों के डायरेक्ट्रेट ऑफ मेडीकल एजुकेशन, मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एवं डी.जी.एच.एस. को भी ऐसे छात्रों को अन्य मेडीकल एवं डेंटल कॉलेज में प्रवेश न दिए जाने हेतु भेजी जाती है।

11. अनुच्छेद 19 (1)(जी) के अंतर्गत व्यवसाय के रूप में शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं उसका प्रबंधन किए जाने का अधिकार दिया गया है, जिसे न्यायालय द्वारा टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन व अन्य विरूद्ध कर्नाटक राज्य में भी मान्यता दी गई है। उक्त अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैः-

01. छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार।

02. युक्तियुक्त फीस का ढांचा स्थापित किए जाने का अधिकार।

03. स्टाफ नियुक्त करने का अधिकार।

04. किसी कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों का त्याग किए जाने की दशा में उचित कार्यवाही किए जाने का अधिकार।

12. शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शी व निष्पक्ष रूप से मेरिट के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य अपने नियम बनाने हेतु स्वतंत्र है। टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन व अन्य विरूद्ध कर्नाटक राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

01. राज्य से सहायता प्राप्त न करने वाले निजी व्यवसायिक संस्थानों के संबंध

में नियम बनाए जाने पर दृष्टि डाली जा रही है।

02. राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले एवं अन्य सहायता प्राप्त न करने वाले व्यवसायिक संस्थानों पर एक ही प्रकार के नियम व कानून लागू किया जाना सही नहीं होगा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सहायता प्राप्त न करने वाले संस्थानों को उनके प्रशासन में स्वायत्ता प्राप्त होती है, जबकि उनके द्वारा मेरिट के सिद्धांत की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसलिए राज्य अथवा यूनिवर्सिटी को यह अनुज्ञेय है कि वह पहचान प्रदत्त किए जाते समय किसी सहायता प्राप्त न करने वाले निजी संस्थान से मेरिट के आधार पर चयन किए जाने की आवश्यकता की पूर्ती कराए, जबकि यह भी ध्यान देना होगा कि वह प्रशासन को छात्रों को प्रवेश हेतु उन्हें उचित विवेकाधिकार का उपयोग करने दे। उदाहरण के तौर पर सीटो का कुछ प्रतिशत प्रबंधन द्वारा ऐसे छात्रों के लिए आरक्षित किया जा सकता है, जिनके द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा पास की गई है, जो राज्य अथवा यूनीवर्सिटी द्वारा आयोजित की गई थी और जिनके द्वारा ऐसे कॉलेज में प्रवेश हेतु आवेदन दिया गया है, जबकि बाकी बची हुई सीटे स्टेट एजेंसी द्वारा आयोजित काउंसलिंग के आधार पर भरी जा सकती है। इस प्रक्रिया द्वारा स्वतः ही समाज के गरीब एवं पिछडे वर्ग के अधिकारों का ध्यान भी रखा जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु कितना प्रतिशत निर्धारित किया जाना है, यह राज्य तय करेगी, जिसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा और सहायता प्राप्त न करने वाले अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त न करने वाली बहुसंख्यक व्यवसायिक संस्थानों के लिए अलग-अलग प्रतिशत भी निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे ही समान सिद्धांत सहायता प्राप्त न करने वाले शैक्षणिक गैर व्यवसायिक संस्थानों पर भी लागू किए जा सकते है, जैसे कि ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन गैर व्यवसायिक कॉलेज व संस्थान।

13. अधिनियम और नियमों के उन प्रावधानों से संबंधित कोई विवाद नहीं है जहां व्यवसायिक कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित है। हमारे विचार के लिए एक मात्र विवाद नियम 12(8)(क) की वैधता है जिसे 19.06.2019 को लाया गया था नियम 12(8)(क) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रवेश योग्यता के आधारों पर हो और कम योग्यता वाले छात्रों को बेहतर कॉलेजो में प्रवेश पाने से रोकना है। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.04.2018 को जारी नोटिस का उल्लेख उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.04.2019 में किया है। उक्त पत्र में छात्रों के समूह की सक्रिय भागीदार पर प्रकाश डाला गया है जो प्रवेश लेने के इरादे के बिना जान बूझकर वित्तीय संतुष्टि के लिए काउंसलिंग के दूसरे दौर में अखिल भारतीय कोटा के सीटो को रोक रहे थे पत्र में उक्त अवधि के दौरान लगभग एक हजार चिन्हित छात्र पहले दौर के बाद शामिल नहीं हुए। उन पर नजर रखी जा रही थी जिससे यह पता लगाया जा सके कि वे कम से कम दूसरे दौर में प्रवेश ले रहे है कि नही। डी.जी.एच.एस ने ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कडी दण्डात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव दिया है। इस खतरे से अवगत होने पर इस न्यायालय ने दिनांक

09.05.2017 को एक आदेश पारित किया दार-उस-सलाम शैक्षणिक ट्रस्ट व अन्य विरूद्ध मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया व अन्य में अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को दूसरे दौर की काउंसलिंग के बाद सीटे खाली करने की अनुमति नहीं दी गई है। अंतिम दौर की काउंसलिंग के बाद सभी रिक्त सीटों को एक सूची से भरने का निर्देश दिया गया था, जो रिक्तियों की संख्या के दस गुना के अनुपात में संस्थानों को भेजी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी रिक्तियां भरी हुई है। अपील कर्ताओं का तर्क यह है कि सीटे खाली रखने के लिए कहा जाना अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत उनके व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार पर एक अनुचित प्रतिबंध है। यह मानते हुए भी कि नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम मेधावी उम्मीदवारों को बेहतर कॉलेजों में प्रवेश न मिले, सीटे खाली रखने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया उपाए अनुपातहीन है।

14. इस न्यायालय द्वारा तमिलनाडू एवं अन्य राज्य विरूद्ध पी कृष्णमूर्ती एवं अन्य (2006)4 एस.सी.सी. 517 में यह माना गया कि एक अधीनस्थ कानून को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है-

01. अधीनस्थ कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव।

02. भारत के संविधान के तहत गंरटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।

03. भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन।

04. उस कानून के अनुरूप होने में विफलता जिसके तहत इसे बनाया गया है। या सक्षम अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार की सीमा से अधिक है।

05. देश के कानून अर्थात किसी भी अधिनियम के प्रति प्रतिकूलता।

06. मनमानी/ अनुचितता प्रकट करना (उस हद तक जहां अदालत यह कह सकती है कि विधायिका ने ऐसे नियम बनाने का अधिकार देने का कभी इरादा नहीं किया था)

07. यह जांचना प्रासंगिक है कि क्या अनुपातिकता के सिद्धांत पर किसी अधीनस्थ कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। केरल राज्य पेय पदार्थ (एम.एण्ड.एम) निगम लिमिटेड विरूद्ध पी.पी.सुरेश (2019) 9 एस.सी.सी. 710 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः-

न्यायिक समीक्षा और अनुपातिकताः-आदेश दिनांक 07.08.2004 को चुनौती जिसके द्वारा उत्तरदाताओं को रोजगार के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित किया गया था, भारत के संविधान अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के आधार पर है। सिविल सर्विस यूनियन परिषद विरूद्ध सिविल सेवा मंत्री, 1985 ए.सी. 374 (1984) 3 डब्ल्यू.एल.आर 1174 (1984)3 इलाहाबाद ई.आर.935 में लॉर्ड डिप्लोक ने माना की प्रशासनिक कार्यवाही में हस्तक्षेप अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनौचित्य के आधार पर हो सकता है। उनकी राय थी कि अनुपातिकता भविष्य में समीक्षा का एक अतिरिक्त आधार हो सकता है। वेडनसवैरी (एसोसिएटड प्रोवेनशिएल पिक्चर हाउसेज लिमिटेड विरूद्ध वेडनसवैरी कॉर्पोरेशन (1948)1 केवी 223 सी.ए.) का सिद्धांत केवल उन निर्णयों तक ही

सीमित है जो तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवहेलना में अपमान जनक है और जिस निश्चय पर कोई भी समझदार व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग कर नहीं पहुंच सकता है।

15. ओमकुमार एवं अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में इस न्यायालय में पाया कि अनुपातिकता का सिद्धांत 1950 से भारत में विधायी कार्यवाही पर लागू किया जा रहा है। अनुच्छेद 19 (2) से 19 (6) के तहत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर किसी भी चुनौती का परीक्षण अनुपातिकता के सिद्धांत पर न्यायालयों द्वारा किया जाता है। लगाए गए प्रतिबंध उचित है या नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 19 (2) से 19 (6) के तहत गारंटीकृत अधिकारों और अनुमत नियंत्रण के बीच उचित संतुलन के आधार पर किया जाता है। जब कानून को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि मौलिक अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध अनुपातहीन है तो न्यायालय प्राथमिक समीक्षा करता है जहां राज्य को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता को उचित ठहराना होता है। " संतुलन परीक्षण" अत्यधिक कठिन दण्ड या अधिकारों या हितों के उल्लंघन और प्रासंगिक विचारों के स्पष्ट असंतुलन की जांच से संबंधित है, जबकि " आवश्यकता परीक्षण" के लिए न्यूनतम प्रतिबंधात्मक विकल्प द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की आवश्यकता होती है।

16. अहरोन बराक के अनुसार व्यापक अर्थ में अनुपातिकता दो प्रमुख घटकों पर आधारित है। पहली वैधता है जिसके लिए आवश्यक है कि सीमा कानून द्वारा निर्धारित हो और दूसरी औचित्यपूर्णता है, जो नियमित अर्थो में अनुपातिकता की आवश्यकताओं के अनुपालन से पूरा होता है। इस पर विचाराधीन वे स्थितियां है जो किसी संवैधानिक अधिकार को किसी कानून द्वारा सीमित करने को उचित ठहराती है। दो मुख्य न्यायोचित स्थितियां हैः एक उचित लक्ष्य और अनुपातिक साधन। एक उपयुक्त लक्ष्य एक प्रारंभिक आवश्यकता है और इसे निर्धारित करने में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। एक लक्ष्य उचित है भले ही उसे प्राप्त करने का साधन मौजूद हो या न हो। अनुपातिक साधनों को तीन माध्यमिक मानदण्डों का पालन करना चाहिएः-

01. उचित लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा उपयोग किए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध।

02. लक्ष्य को उन साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि जो संवैधानिक अधिकार से कम प्रतिबंधात्मक है।

03. उचित लक्ष्य को साकार करने के सामाजिक लाभ और अधिकार को होने वाले नुकसान (अनुपातिक स्ट्रीक्टो सेंसु या अनुपातिक प्रभाव) के बीच एक अनुपातिक संतुलन होना चाहिए।

17. आर विरूद्ध ओक्स (1986)1 एस.सी.आर 103 (कैन.एस.सी.) में सी.जे. डिक्शन द्वारा अनुपातिकता के तीन परीक्षण प्रतिपादित किए गए हैः-

1. अपनाए गए उपाए तर्क संगत रूप से उददेश्य से जुडे होना चाहिए।

2. साधनों को प्रश्नगत अधिकारी या स्वतंत्रता को यथासंभव कम नुकसान पहुॅचाना चाहिए।

3. उन उपायों के प्रभावों के बीच अनुपातिकता होनी चाहिए जो अधिकार या स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार है और जिस उददेश्य को पर्याप्त महत्व के रूप में पहचाना गया है।

18. मॉडर्न डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर व अन्य विरूद्ध म.प्र.राज्य (2016)7 एस.सी.सी. 353 में जे.ए.के.सीकरी द्वारा यह टिप्पणी की गई अनुपातिकता का सिद्धांत अनुच्छेद 19 में ही निहित है। उन्होंने बताया कि उक्ति "उचित प्रतिबंध" अनुच्छेद 19 (1) में दी गई स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 (2) से 19 (6) द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इसमें आगे यह भी बताया गया है कि संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार के आनंद पर लगाई गई सीमाए जनता के हित में आवश्यक चीजों के मुकाबले मनमानी या अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। एम.आर.एफ लिमिटेड विरूद्ध इंस्पैक्टर केरल राज्य में निर्धारित वैधानिक प्रावधान की तर्कसंगतता की जांच के लिए निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिएः-

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझ में आते हैः

01. प्रतिबंधों की तर्कसंगतता पर विचार करते समय न्यायालय को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतो को ध्यान में रखना होगा।

02. प्रतिबंध मनवाने या अत्यधिक प्रकृति के नहीं होने चाहिए, जिससे कि वे आम जनता के हित की आवश्यकता से परे जा सके।

03. प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का न्याय करने के लिए कोई अमूर्त या सामान्य पैटर्न या एक निश्चित सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता है ताकि सार्व-भौमिक अनु प्रयोग हो और यह अलग-अलग मामलों में और बदलती परिस्थितियों के संबंध में भी अलग-अलग होगा। मानव जीवन के मूल्य, संविधान का सामाजिक दर्शन, तत्कालीन परिस्थितिया और आस-पास की परिस्थितियां।

04. लगाए गए प्रतिबंधों और अनुच्छेद 19 के खण्ड 6 द्वारा परिकल्पित सामाजिक नियंत्रण के बीच एकउचित संतुलन बनाना होगा।

05. प्रचलित सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ उन सामाजिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा जिन्हें प्रतिबंधों से संतुष्ट किया जाना है। (देखेः यूपी राज्य विरूद्ध कौशेलिया ए.आई.आर 1964 एस.सी. 416 (1964) 4 एस.सी.आर 1002)

06. लगाए गए प्रतिबंधों और प्राप्त की जाने वाली वस्तु के बीच प्रत्यक्ष और निकटतम संबंध या उचित संबंध होना चाहिए। यदि प्रतिबंधों और अधिनियम के उददेश्यों के बीच सीधा संबंध है, तो अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में एक मजबूत धारणा स्वभाविक रूप से उत्पन्न होगी। (देखे कवलप्पारा कोट्टारथिल कोचुनी विरूद्ध मद्रास व

केरल राज्य ए.आई.आर 1960 एस.सी. 1080 (1960)3 एस.सी.आर 887, ओ.के.घोष विरूद्ध ई.एक्स.जोजेफ ए.आई.आर 1963 एस.सी. 812 1963 सप्लीमेंट्री (1) एस.सी.आर. 789 (1962)2 एल.एल.जे. 615)

19. ओमकुमार व अन्य विरूद्ध भारत संघ में न्यायमूर्ती एम.जगन्नाथ राव द्वारा की गई टिप्पणीयों का उल्लेख प्रासंगिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में अनुपातिकता के संबंध में की गई टिप्पणी इस प्रकार हैः-

जहां तक अनुच्छेद 14 का सवाल है भारत में अदालतों ने जांच की कि क्या वर्गीकरण तर्कसंगत विभेदक पर आधारित था और क्या ऐसे विभेदक का कानून के उददेश्य के साथ कोई युक्तियुक्त संबंध था। जाहिर है, जब अदालतों ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या वर्गीकरण तर्कसंगत विभेदक पर आधारित था, अदालते मतभेदों की वैधता और मतभेदों की पर्याप्तता की जांच कर रही थी। यह फिर से अनुपातिकता के सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे मामले भी है जहां कानून या नियमों को मनमाने व अयुक्तियुक्त के आधार पर रद्द कर दिया गया है। (देखेः एयर इंडिया विरूद्ध नर्गिस मिर्जा (1981)4 एस.सी.सी 335: 1981 एस.सी.सी. (एल एण्ड एस) 599)

20. नियम स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों मेडीकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश को नियंत्रित करते है। कम मेधावी उम्मीदवारों की मदद के लिए अखिल भारतीय कोटा में आवंटित सीटे खाली करने वाले छात्रों की कार्य पद्धति की पहचान की गई है और इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। ऑल इंडिया कोटे की बडी संख्या में सीटे स्टेट कोटे में काउंसलिंग के लिए भेजी जा रही थी यह पाया कि कुछ बेईमान तत्व मेधावी छात्रों से उनकी सींटे खाली करा रहे थे ताकि काउंसलिंग के अगले दौर में कम योग्यता वाले उम्मीदवारों से उक्त सींटे भरी जा सकें। इन अपीलों में दायर जवाबी हल्फनामे में, राज्य सरकार ने स्नाकोत्तर प्रवेश के संबंध में श्री साकेत बंसल द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया। इसमें रिट याचिका कर्ता की शिकायत यह भी थी कि मॉप अप राउंड में सीट भरने के कारण कम मेधावी उम्मीदवार को बेहतर विषय मिल गया और जिस छात्र को पहले राउन्ड में सीट आवंटित की गई थी, उसने जॉइन नहीं किया। उक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिन छात्रों को मेडिकल सीट आवंटित की गई थी, वे कम मेधावी उम्मीदवारों का पक्ष लेने के लिए शामिल नहीं होने की हानिकारक प्रथा को समाप्त करने के लिए एक समाधान खोंजे।

21. नियम 12 (8) (ए) को सम्मिलित करके नियमों में संशोधन का घोषित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश सख्ती से योग्यता के अनुसार किया जाये क्योंकि सरकार ने देखा कि कम मेधावी उम्मीदवारों को बेहतर कॉलेज/विषय मिल रहे थे, इसलिए, जिन छात्रों को मॉप अप काउंसलिंग में सींटे आवंटित की गई थीं, उनके जॉइन न करने पर या इस्तीफे के कारण खाली होने वाली सींटों को कॉलेज स्तर की काउंसलिंग में

शामिल नहीं किया जायेगा। नतीजा यह होगा कि ऐसी सीटें खाली रह जायेंगी।

22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस उद्देश्य से नियम 12 (8) (ए) बनाया गया है वह उचित है क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों द्वारा किए जाने वाले कदाचार पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। नियम 12 (7) (सी) में प्रावधान है कि जो छात्र आवंटन पर जारी होने के बाद प्रवेश नहीं लेते हैं, वे 2 लाख रूपये की अग्रिम प्रवेश शुल्क की वापसी के हकदार नहीं होंगे, जो स्वचालित रूप से जब्त हो जाएगी। नियम 12 (8) (बी) के अनुसार, जो छात्र मॉप-अप राउंड के माध्यम से सीट आवंटित होने के बाद शामिल नहीं होते हैं, उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये किसी अन्य मेडीकल कॉलेज में प्रवेश के पात्र नहीं होगें। ऐसे छात्रों को काउंसलिंग के अगले दौर में भाग लेने से रोकने, अग्रिम प्रवेश शुल्क जब्त करने और उन्हें किसी भी मेडीकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अयोग्य बनाने के लिए उचित कदम उठाए गए है। हालांकि, जिन मेडीकल कॉलेजों की उपर बताए गए हेरफेर में कोई भूमिका नहीं है, उन्हें सभी सीटें भरने की अनुमति नहीं देकर दंडित किया जाता है। मॉप अप राउंड में उम्मीदवारों के शामिल न होने के कारण खाली हुई सीटों को भरने से प्रबंधनों को प्रतिबंधित करने का सरकार द्वारा उठाया गया कदम एक अत्यधिक और अनुचित प्रतिबंध है।

23. छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार जो अनुच्छेछ 19 के तहत प्रबंधन के व्यवसाय के अधिकार का एक हिस्सा है। 19 (1) (जी) भारत के संविधान के नियम 12 (8) (ए) से पराजित हो गया है क्योंकि यह उन्हें मेडीलक पाठयक्रमों में सभी सीटें भरने से रोकता है। अध्यन के विषय का उन्नयन और चयन केवल स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठयक्रम के लिए प्रासंगिक है। जहां तक स्नातक चिकित्सा पाठयक्रम का सवाल है, उन्नयन केवल बेहतर कॉलेज तक ही सीमित है। मेडीकल की सभी सीटें न भरना समस्या का समाधान नहीं है। इसके अलावा, सीटें खाली रहने से संसाधनों की राष्ट्रीय बर्बादी के अलावा शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन को भारी वित्तीय नुकसान होता है। सीटें खाली रखे जाने से आम जनता का हित सधता नहीं है। दूसरी ओर, मान्यता प्राप्त मेडीकल कॉलेजों में सीटें नहीं भरी जाना जनहित के लिए हानिकारक है। ध्यान दें कि हम यह टिप्पणी देने के लिए विवश है कि प्रबंधन को सभी सीटे भरने की अनुमति न देने की नीति का नियम 12 (8) (ए) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उददेश्य से कोई संबंध नहीं रखता है। ज्वाइनिंग न होने के कारण रिक्त रह गई सीटो का वर्गीकरण तर्कसंगत विभेदक पर आधारित हो सकता है लेकिन इसका नियम 12 (8) (ए) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई युक्तियुक्त संबंध नही है। अनुपातिकता का परीक्षण करते हुए हमारा मानना है कि नियम द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनुचित है। एर्गो, नियम 12 (8) (ए) संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन है।

24. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है और तदनुसार अपील स्वीकृत की जाती है।

(अनुष्का शर्मा )